मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016 (म.प्र.)
फोन : 0755-2466735 (O), **फैक्स :** 0755-2463742, **पी.बी.एक्स.:** 0755-2517600, 2466191
ई-मेल : rskori2762@gmail.com, ms-mppcb@mp.gov.in, it_mppcb@rediffmail.com
वेब : www.mppcb.mp.gov.in

MAGNIFICENT MP

क्रमांक 2642 /स्था/प्रनिबो.2019 भोपाल, दिनांक 25 OCT 2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/धार/सिंगरौली/गुना/ग्वालियर/सिंगरौली
सागर/सतना/रीवा/कटनी/शहडोल/छिन्दवाडा/जबलपुर
पीथमपुर/एसईजेड पीथमपुर

विषय :- प्रदेश के वेयर हाउस के सम्मति आवेदनों के निराकरण बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 27/12/2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु स्थापित होने वाले वेयर हाउसिंग संस्थान जिनमें शीतलन की सुविधा नहीं है, को व्हाईट केटेगरी सूची के क्रमांक 132 पर रखा गया है ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित एवं संचालित वेयर हाउसों के सम्मति प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिकतम समय सीमा 14 दिवस निर्धारित की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि उक्त के अतिरिक्त आपके अधिकार क्षेत्र के वेयर हाउसों के सम्मति प्रकरणों का निराकरण 10 दिवस की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे वेयर हाउस के सम्मति प्रकरण जिन पर निर्णय मुख्यालय स्तर से लिया जाना है, 3 दिवस की अवधि में आवश्यक तथ्यों की टीप /अभिमत सहित मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त प्रकरणों का निराकरण निर्धारित 14 दिवस की समय सीमा में किया जा सके ।

कृपया इसे आवश्यक समझें एवं समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(आर0एस0कोरी)
सदस्य सचिव

क्रमांक 2643 /स्था/प्रनिबो.2019 भोपाल, दिनांक 25 OCT 2019

प्रतिलिपिः-

1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2 समस्त यूनिट हेड/शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3 व्यक्तिगत नस्ति/आईटी शाखा/गार्ड फाईल

(आर0 एस0 कोरी)
सदस्य सचिव,